न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 24/17

GCMS NO 2017/00009

1. बजरंगा पुत्र गेंदीलाल जाति पूर्विया (मृतक)
   1/1. रामप्रसाद पुत्र स्व0बजरंगा
   1/2. श्रीमती सीतादेवी पत्नि स्व0 बजरंगा
   1/3. श्रीमती शारदा पुत्री स्व0बजरंगा पत्नि धारा सिह जाति पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
   1/4. श्रीमती ममता पुत्री स्व0बजरंगा पत्नि रामसिह जाति पूर्विया निवासी ग्राम हाडौती दरा जिला कोटा
   1/5. श्रीमती सुनिता पुत्री स्व0बजरंगा पत्नि गिर्राज जाति पूर्विया निवासी उदई कलां तहसील गंगापुर सिटी
   1/6. श्रीमती सीमा पुत्री स्व0बजरंगा पत्नि मुकेश जाति पूर्विया निवासी ग्राम शहर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. कजोड पुत्र सुवा जाति पूर्विया निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. प्रभू लाल रामदेव जाति बैरवा
2. रामगोपाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0न0 1 व 2/वादीगण

3. पप्पू उर्फ बृजमोहन पुत्र गणपत जाति बैरवा
4. सूरजमल पुत्र गणपत जाति बैरवा निवासीयान ग्राम चेचक तहसील रामगजमण्डी जिला कोटा
5. ताराचंद पुत्र स्व0राजू जाति बैरवा
6. राकेश पुत्र स्व0राजू जाति बैरवा (नाबालिग)
7. राज डिग्गी पुत्र स्व0 राजू जाति बैरवा (नाबालिग) दोनो जरिये संरक्षक भ्राता ताराचंद पुत्र स्व0 राजू बैरवा
8. हनुमान पुत्र बदरी जाति बैरवा
9. श्रीमती मोत्या पत्नि स्व0बदरी जाति बैरवा समस्त निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0 न0 3 ता 9/प्रतिवादीगण 1 ता 5

10. श्रीमती अयोध्या पत्नि स्व0प्रहलाद जाति पूर्विया
11. रामसिह पुत्र स्व0 प्रहलाद जाति पूर्विया
12. लक्ष्मण पुत्र स्व0 प्रहलाद जाति पूर्विया निवासीयान भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

13. श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व0प्रहलाद पत्नि श्रीकिशन जाति पूर्विया पैत्रिक ग्राम भगवतगढ हाल निवासी ससुराल ग्राम शहर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
14. श्रीमती काली पुत्री स्व0प्रहलाद पत्नि श्री हरिसिह जाति पूर्विया पैत्रिक ग्राम भगवतगढ हाल निवासी ससुराल ग्राम दतोब तहसील मालपुरा जिला टोंक
15. श्रीमती बरदी पुत्री स्व0प्रहलाद पत्नि मदन जाति पूर्वियां पैत्रिक ग्राम भगवतगढ हाल निवासी ससुराल ग्राम ढीबरू तहसील मालपुरा जिला टोंक

रेस्पो0 न0 10 लगायत 15

16. लैण्ड होल्डर तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0 न0 16/प्रतिवादी न0 6

(अपील विरूद्व मु0नं0 56/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.1.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रमेश चंद गोयल

दिनांक 18.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.1.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा दावा इस्तकरार हक एवं हुक्म इक्तनाई दवामी व बंटवारा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के तथा निवासी ग्राम भगवतगढ के है। आराजी ख0न0 1085 रकबा 0.57 है0 व ख0न0 1086 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम भगवतगढ मे स्थित है। जिसके पुराने साबिक न0 640 रकबा 4 बिस्वा व 642 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा थे। उक्त आराजीयात पहले वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा जीवन पुत्र नाथ्या के खातेदारी कब्जे काश्त की व आराजीयात थी। जीवन के पांचू पुत्र नाथूलाल, मूलचंद,चुन्नीलाल ,नैनू, रामदेव बैरवा हुए जिसमे ये सभी पुत्रान भी फौत हो चुके है। चुन्नीलाल व मूलचंद लाऔलाद फोत हुए नाथूलाल के बदरी हुआ बदरी भी फौत हो गया तथा बदरी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वारिसान है तथा नैनू के गणपत हुआ वह भी फौत हो गया तथा इसके प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वारिस है। इसी प्रकार रामदेव के प्रभूलाल व रामगोपाल पुत्र होने से वादीगण वारिसान है। जीवनलाल वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाबा 55-60 वर्ष फौत हो गये। उसके मरने के बाद अकेले नाथूलाल बडा भाई होने के कारण उक्त वादग्रस्त आराजी का नामा0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के बाबा नाथूलाल भी मर गया। तब उसके लडके बदरी के नाम खातेदारी मे नाम दर्ज हुआ तथा बदरी के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो बदरी के वारिसान है खातेदारी मे गलत रूप से दर्ज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जबकि कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण का समान रूप से शामिल चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जिनमे नाम विवादित आराजीयात की खातेदारी मे गलत इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादी न0 1 ता 3 बेचने को आमादा हो रहे है। वादीगण को पता चलने पर विकय करने से मना किया गया। उक्त जमीन का 1/3 हिस्सा वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम खातेदारी मे इन्द्राज करने को कहा। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने मना कर दिया तथा कहा कि हमारी जमीन है हम बेचेगे। तुम्हारे नाम 1/3, 1/3 हिस्सा भी नही लगायेगे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का सिर्फ 1/3 हिस्सा उक्त आराजीयात मे है। सम्पूर्ण हिस्सा बेचने का अधिकार प्रतिवादी न0 1 ता 3 को नही है। विवादित आराजीयात का 1/3 भाग का खातेदारी वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र को राजीनामा प्रस्तुत कर डिकी कराने का निवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र डिकी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी से व्यथित होकर धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न कर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर गौर नही किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस मे षडयंत्र रचकर दावे व जबाब दावे मे उचित एवं वास्तविक तथ्यो को न दर्शाकर छिपाते हुए आपस मे राजीनामा कर दावा डिकी करवा लिया। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 ता 15 एक ही ग्राम के निवासी है। रेस्पो0 संख्या 10 ता 15 अपीलांट संख्या दो कजोड के खास बडे भाई स्वर्गीय प्रहलाद के वारिसान होकर एक ही कुटुम्ब के वंशज होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है। आराजीयात वर्तमान ख0न0 1085 रकबा 0.57 है0 एवं 1086 रकबा 0.45 है0 कुल रकबा 1.02 है0 है। जिसके बीससाला सेटलमेंट सम्वत 2004 लगायत 2023 मे ख0न0 640 रकबा 4 विस्वा एवं 642 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा थे तथा दस साला सेटलमेंट/मिसल हकीयत बंदोबस्ती सम्वत 1988 मे ख0न0 603 रकबा 4 विस्वा, 605 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा एवं 606 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा थे। उक्त भूमि शुरू से ही अपीलांट की अपने पूर्वज दादा परदादाओ नेनू पुत्र गंगाराम पूर्वियां एवं छोटया पुत्र बक्षु पूर्विया के समय से ही पुश्तैनी स्वामित्व कब्जे की रही है। जिस पर अपीलांट अपने पिता व दादा परदादाओ के समय से ही संयुक्त रूप से काबिज होकर आज दिन तक काश्त करते व उपयोग लेते आ रहे है। खेतो के रास्ते की और

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट ने तार फेंसिंग कर रखी है। ख0न0 1085 मे सरसब्ज सरसो की फसल खडी है। ख0न0 1085 के करीब 5 ऐयर भाग मे अपीलांट न0 2 कजोड का पुख्ता मकान,देवताओ के मंदिर व बाडा बना हुआ है। पूर्व मे मिसल हकीयत मे दर्ज साबिक ख0न0 603 रकबा 4 विस्वा जिसका बीस साला सेटलमेंट मे दर्ज ख0न0 640 रकबा 4 विस्वा शुरू से ही मौके पर बंजड थी तथा उसमे अपीलांट मवेशी बांधने तथा सामान रखने के उपयोग मे लेते थे। कुछ भाग मे अपीलांट काश्त करते है। मिसल हकीयत बंदोबस्त सम्वत 1988 मे दर्ज ख0न0 603,605,606 मुताबिक सजरा बंशावली अपीलांट नम्बर 1 के पूर्वज छोटया पुत्र बक्षु पूर्विया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार तथा साबिक ख0न0 603 व 605 नेनू पुत्र गंगाराम पूर्विया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था जो कि उक्त छोटया व नेनू पूर्वियां के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी। लेकिन बीस साला सेटलमेंट सम्वत 2004 लगायत 2023 मे इनके नवीन न0 640 रकबा 4 विस्वा व 642 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा बने तथा रिकार्ड मे उक्त नेनू एवं छोटया पूर्वियां के स्थान पर सेटलमेंट की गलती के कारण गलत व नाजायज रूप से जीवन पुत्र नाथ्या चमार दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त जीवन का इस भूमि से कभी कोई वास्ता नही रहा है। तत्पश्चात सेटलमेंट सम्वत 2057 से 2077 मे जीवन पुत्र नाथ्या चमार के स्थान पर उक्त गलती को दोहराते हुए नाजायज रूप से बदरी पुत्र नाथ्या चमार का नाम दर्ज कर दिया। जबकि उक्त बदरी का इस भूमि से कोई सबंध नही है। इसके बाद जमाबंदी मे राजू,हनुमान पिसरान बदरी एवं मोत्या बेवा बदरी के नाम यह भूमि दर्ज कर दी। जबकि इनका इस भूमि से कोई संबंध नही रहा है। वादी एवं प्रतिवादी ने उक्त विवादित भूमि ख0न0 1085 व 1086 के बाबत वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर आपस मे साजकर राजीनामा कर उक्त भूमि वादीगण प्रभूलाल व रामगोपाल का 1/3 भाग का तथा प्रतिवादीगण को 1/3 भाग का खातेदार घोषित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल हो चुका है। जिसके आधार पर नामा0संख्या 951 दिनांक 3.2.17 तस्दीक हो चुका है। उक्त समस्त कार्यवाही षडयंत्र पूर्वक कराई गई है। अपीलांट को जानबुझकर पक्षकारा नही बनाया गया है। जबकि विवादित भूमि अपीलांट के पिता परदादाओ के समय से ही कब्जे काश्त व स्वामित्व मे चली आ रही है। कानूनन अपीलांट को पक्षकार बनाना चाहिए था। विवादित भूमि पर अपीलांट राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त है। जीवन पुत्र नाथ्या चमार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भगवतगढ मे कभी नही रहा तथा मृतक बदरी पुत्र नाथ्या व रेस्पो0 जीवन के वारिसान भी नही है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा 8 व 9 अपीलाधीन निर्णय की आड मे विवादित भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि को बेचने की फिराक मे है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हुई । रेस्पो0 द्वारा बेदखल करने धमकी दिये जाने के पश्चात जानकारी करने एवं नकल प्राप्त करने पर जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि आराजी ख0न0 1085 रकबा 0.57 है0 व ख0न0 1086 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम भगवतगढ मे स्थित है। जिसके पुराने साबिक न0 640 रकबा 4 बिस्वा व 642 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा थे। उक्त आराजीयात पहले वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा जीवन पुत्र नाथ्या के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात थी। जीवन के पांचू पुत्र नाथूलाल, मूलचंद,चुन्नीलाल ,नैनू, रामदेव बैरवा हुए जिसमे ये सभी पुत्रान भी फौत हो चुके है। चुन्नीलाल व मूलचंद लाऔलाद फोत हुए नाथूलाल के बदरी हुआ बदरी भी फौत हो गया तथा बदरी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वारिसान है तथा नैनू के गणपत हुआ वह भी फौत हो गया तथा इसके प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वारिस है। इसी प्रकार रामदेव के प्रभूलाल व रामगोपाल पुत्र होने से वादीगण वारिसान है। बदरी के फौत होने के उपरान्त गलत रूप से उक्त भूमि उसके वारिसान के नाम आ गई। अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आपस मे समझौता हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी समझौता तस्दीक किया जाकर हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की गई है। अपीलांट का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई वास्ता संबंध नही है। विवादित आराजीयात बाबत किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट या उनके पूर्वजो के नाम का अंकन नही है। विवादित आराजीयात मे अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हक हकूक निहित नही है। अपीलांट द्वारा इसी आराजीयात बाबत एक दावा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहॉ भी कर रखा है। इस प्रकार अपीलांट की अपील रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने से खारिज योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट या उनके पूर्वजो के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो इसका कोई प्रमाण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है ना ही विवादित आराजीयात पर कब्जा होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। विवादित आराजीयात पर कब्जे के बाबत कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के पुर्वजो के नाम राजस्व रिकार्ड मे रही है। उक्त आराजीयात पहले वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा जीवन पुत्र नाथ्या के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात थी। जीवन के पांचू पुत्र नाथूलाल, मूलचंद,चुन्नीलाल ,नैनू, रामदेव बैरवा हुए जिसमे ये सभी पुत्रान भी फौत हो चुके है। चुन्नीलाल व मूलचंद लाऔलाद फोत हुए नाथूलाल के बदरी हुआ बदरी भी फौत हो गया तथा बदरी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वारिसान है तथा नैनू के गणपत हुआ वह भी फौत हो गया तथा इसके प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वारिस है। इसी प्रकार रामदेव के प्रभूलाल व रामगोपाल पुत्र होने से वादीगण वारिसान है। बदरी के फौत होने के उपरान्त गलत रूप से उक्त भूमि उसके वारिसान के नाम आ गई। अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आपस मे समझौता हो [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी समझौता तस्दीक किया जाकर हिस्से [illegible] अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी का [illegible] परन्तु विवादित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पर कब्जा अपीलांट को हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नही है। बिना कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष प्रदान विधि अनुसार प्रदान नही किया जा सकता है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 1 वर्ष 2 माह पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जिसमे बिलम्ब का जो कारण अंकित किया गया है उसमे किसी प्रकार का कोई विधिक कारण का उल्लेख नही किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत एक मुकदमा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना जाहिर किया है। इस प्रकार जब उसी आराजीयात से संबंधित अपील इस न्यायालय मे विचाराधीन है तो उनको उसी आराजीयात के बाबत वाद पत्र पेश करना धारा 10 सीपीसी के प्रावधान से बाधित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नकल जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत 2012 प्रदर्श 3 , नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2004–23 प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 4 मिलान क्षैत्रफल ग्राम भगवतगढ का अवलोकन कर एवं वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामा को तस्दीक किया जाकर हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज करने को आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने एवं कब्जे के अभाव मे चाहा गया खातेदारी का अनुतोष दिया जाना विधिक नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं कब्जे के अभाव मे खातेदारी की घोषणा प्रदान किया जाना विधी संगत नही होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा के मु0नं0 56/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.1.16 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner